डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या– 171 / 2009 दायर दिनांक– 18.08.2009

जीसीएमएस नं. 2009 / 00142

राजूलाल पुत्र रामफूल उम्र 54 साल जाति मीना निवासी कारवाड़ मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

———वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र कन्हैया उम्र 40 साल
2. मलखान पुत्र कन्हैया उम्र 35 साल
3. श्रीमति धुरबाई पत्नि रामकरण उम्र 35 साल
4. कमलबाई पत्नि मलखान उम्र 30 साल

} जाति मीना निवासी ढींडोटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

———प्रतिवादीगण–04

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 171 / 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन कानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी न0 1 ता 4 रूबरू हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि आराजी जमाबंदी संवत 2063–66 खाता संख्या 161 खसरा न0 850 रकबा 0.02 है0, तथा खसरा न0 851 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम कारवाडी मीना तहसील हिण्डौन में राजूलाल पुत्र रामफूल जाति मीना नि0 सा. ग्राम खातेदार काश्तकार है। इसलिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण न तो स्वयं ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से कब्जा ना करावें, वादी को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने देवे एवं व्यवधान पैदा नहीं करें, उपयोग–उपभोग करने देवे। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत [illegible] 30.08.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

30/8/24

(हेमराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली